फर्द अहकाम

(नियम 26)

सीएमएस नंबर 2023/322 बअनवान सुखी देवी बनाम ओमप्रकाश उर्फ पुखराज वगैरा

वाद अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
28/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी श्री गणपत लाल चौधरी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 02 पेरोकार सरकार उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का आद्योपान अध्ययन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात हस्तगत प्रकरण मे यह स्वीकार्य तथ्य है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम बिसलपुर के खसरा नंबर 227 रकबा 0.50 हैक्टर के खातेदार मथुरादेवी देवा हिम्मताराम व पुखराज व लाला पीसराम जाति कलाल निवासी बिसलपुर के खातेदारी की रही है। वादीनी ने उक्त भूमि के जरिये विक्रय विलेख दिनांक 23.06.1995 से वादग्रस्त भूमि खरीद की, जिसका पंजियन दिनांक 26.06.1995 को उपपंजियक बाली के कार्यालय में हुआ। बेचान रजिस्ट्री का दस्तावेज टाइप करवाते समय दस्तावेज लेखक ने पुरानी हिन्दी भाषा के अंक 227 को अंग्रेजी अंक 226 मानते हुए रजिस्टरी मे खसरा न0 226 का अंकन कर दिया , जबकि खसरा न 226 का रकबा 1.57 हैक्टर रहा है तथा जिसके खातेदार भूराराम पुत्र इन्दाराम कौम घांची रहे है। बेंचानकर्ता की खातेदारी की भूमि के खसरा न0 227 रहे है तथा वही भूमि वादीनी ने खरीदी है मात्र रजिस्ट्री में हिन्दी भाषा को अंग्रेजी अंक मानते हुए 226 का अंकन कर दिया गया। जिससे वादीनी द्वारा एक वाद इसी न्यायालय में घोषणा खातेदारी का केस किया था, जिसके वाद संख्या 88/2014 रहे है जिस वाद को राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष 2015 में शिविर बिसलपुर में दिनांक 05.6.2015 को लोक अदालत की भावना से वाद को विड्रॉल करवा दिया परन्तु वादी के वाद का अनुतोष प्राप्त होने से वादीया के अधिवक्ता के प्रसंज्ञान में लाये जाने पर पुनः रिव्यू प्रार्थना पत्र 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया। जो कि राजस्व विविध प्रकरण संख्या 325/2015 पुनः राजस्व लोक अदालत कैम्प 01.06.2017 को राजीनामा से निर्णित किया गया। जिस राजीनामा में प्रतिवादी संख्या 01 को पाबन्द किया गया कि 20000/– रूपये वादीया से प्राप्त कर रजिस्ट्री वादीया के पक्ष में करा लेवे। जिस राजीनामा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 के अलावा वादग्रस्त भूमि के अधिकार अभिलेखों में दर्ज सह खातेदारान प्रतिवादी संख्या 01 की बहन फैन्सी, शारदा व सन्तोष का हिस्सा बहैसियत आमुख्तयार के प्रतिवादी स0 1 द्वारा विक्रय विलेख दिनांक 18.09.2017 को वादीनी के पक्ष में निष्पादित करवा दिया परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 स्वयं के हिस्से का बेचान रजिस्ट्री में उल्लेख नहीं किया, जिससे वादग्रस्त भूमि के 1/4 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 01 का नाम दर्ज चल रहा है, जबकि न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06.2017 की पालना में प्रतिवादी संख्या 01 ने न्यायालय द्वारा तयशुदा राशि 20000/– रूपये प्राप्त कर लिये थे। इस प्रकार वादीनी लोक अदालत में हुए निर्णयो की पालना कराये जाने की अधिकारी होने से वादिया ने उक्त वाद प्रतिवादी स0 1 का 1/4	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

हिस्सा में दर्ज नाम को विलोपित किये जाने का अनुतोष चाहा है। जो प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार वादिया को दिया जाना न्यायसंगत है। प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि

1. लोक अदालत की भावना से वादीनी व प्रतिवादी संख्या 01 ने कैम्प कोर्ट बिसलपुर में दिनांक 01.06.2017 को राजीनामा हुआ है तथा इसी की पालना में विक्रय विलेख प्रतिवादी संख्या 01 स्वयं द्वारा आम मुख्तीयार की हैसियत से अपनी बहनो का हिस्सा दिनांक 18.09.2017 को वादीनी के पक्ष में निष्पादित करवा दिया है तथा अपना हिस्सा का अंकन बेचान रजिस्ट्री में नही किया है

2. दिनांक 26.06.1995 को हुए विक्रय विलेख में खसरा न0 227 ही था परन्तु दस्तावेज लेखक ने अंगेजी भाषा के अंक 227 को हिन्दी भाषा के अंक 226 मानते हुए बेचान रजिस्टरी में गलत तौर से खसरा न0 226 का अंकन किया था।

तमाम विवेचन से वादिया अपनी खरीदशुदा भूमि की घोषणा खातेदारी पाने की अधिकारी रहती है। जिससे वाद वादिया स्वीकार किया जाता है ग्राम बिसलपुर के खसरा न0 227 रकबा 0.50 हैक्टर के 1/4 हिस्सा में दर्ज सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 01 ओमप्रकाश उर्फ पुखराज पुत्र हिमताराम का नाम विलोपित करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत सम्पूर्ण खसरा का खातेदार वादिया को घोषित किया जाता है। वादिया के घोषित की जा रही खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 दखलअंदाजी नही करे इस हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत सार्वकालिक निषेद्याज्ञा की डिक्री जारी की जाती है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का बिसलपुर आदेशानुसार रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

अज अदालत सहायक

वादी :-

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादी :–

श्रीमती सुखी देवी पत्नी मगारामजी जाति घांची निवासी सुमेरपुर

ब्नाम

प्रतिवादीगण :–

1–ओमप्रकाश उर्फ पुखराज पुत्र हिमतारामजी जाति कलाल निवासी बिसलपुर तहसील बाली
2– राजस्थान सरकार भुमिधारी जरिये प्रतिनिधी तहसलीदार बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2023/322
वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व पेरोकार सरकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादी द्वारा ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 227 रकबा 0.50 हैक्टर के 1/4 हिस्सा में दर्ज सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 01 ओमप्रकाश उर्फ पुखराज पुत्र हिमताराम का नाम विलोपित करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत सम्पूर्ण खसरा का खातेदार वादीया को घोषित किया जाता है। वादीया के घोषित की जा रही खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 दखलअंदाजी नही करें। इस हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत सार्वकालिक निषेद्याज्ञा की डिक्री जारी की जाती है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28-10-25 को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला - पाली (राज.) ★

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner